भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3691
दिनांक 21.12.2021/ 30 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

डार्क वेब के माध्यम से अवैद्य मादक द्रव्यों का प्रसार

†**3691. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे:**
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
श्रीमती रंजीता कोली:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास 'डार्क वेब' के माध्यम से अवैद्य मादक द्रव्यों के प्रसार को रोकने के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विशेषकर महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान में ऑनलाइन नशीली दवाओं के व्यापार को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए कौशल विकास हेतु प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सुकेन्द्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान राज्य सहित देश में 'डार्क वेब' के माध्यम से अवैध मादक पदार्थों के प्रसार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- ''साइबर और फारेंसिक प्रौद्योगिकियां'' तथा ''इलैक्ट्रानिक माध्यमों से साक्ष्य एकत्र करने'' के बारे में फील्ड अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण।
- डाकघरों और कूरियर कंपनियों के कार्मिकों हेतु जागरूकता कार्यक्रम।

- डार्क वेब से संबंधित आसूचना को नियमित आधार पर साझा करने के लिए अन्य देशों की "मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों" के साथ समन्वय।
- "स्वापक नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता" की स्कीम के अंतर्गत राज्यों को सहायता, ताकि वे अपनी प्रवर्तन क्षमता में सुधार कर सकें, जिसमें उनके लिए इलैक्ट्रानिक निगरानी प्रणालियों को हासिल करना शामिल है।
- पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के तहत केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में "मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन प्रशिक्षण केन्द्र" की स्थापना।

*****